# कार्यालय प्रभारी अधिकारी उद्यान अनुभाग
# गो0 ब0 पन्त कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय पन्तनगर

पत्रांक–जी0एस0/ 490 दिनॉक: 20-02-2026

**अल्पकालिक निविदा/नीलामी के माध्यम से पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय एवं कृषि महाविद्यालय परिसर में स्थित कुल 23 यूकेलिप्टस वृक्षों की बिक्री हेतु अल्पकालिक निविदा सूचना**

पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय एवं कृषि महाविद्यालय परिसर में स्थित कुल 23 यूकेलिप्टस वृक्षों की बिक्री अल्पकालिक निविदा/नीलामी के माध्यम से बिक्री किए जाने हेतु ठेकेदारों/ अधिकृत फर्मों द्वारा अल्पकालिक निविदा/नीलामी प्रपत्र (Tender Form) दिनांक 23.02.2026 से 09.03.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समयावधि (प्रातः 9:30 बजे से सायं 4:00 बजे तक) में रु. 2000.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत रु. 360.00, कुल रु. **2,360.00** (रूपये दो हज़ार तीन सौ साठ मात्र) में नकद भुगतान अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि **नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर/Comptroller, GBPUA&T, Pantnagar** के नाम ***भारतीय स्टेट बैंक/यूको बैंक/पी0एन0बी0 बैंक अथवा यूनियन बैंक, पन्तनगर*** शाखा में देय हो अनुभाग कार्यालय में जमा करते हुये क्रय किये जा सकते है एवं निविदायें दिनांक 24.02.2026 से दिनांक 09.03.2026 तक प्रातः 9:30 बजे से सायं 4:00 बजे तक निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र क्रय की रसीद व तथा धरोहर राशि के ड्राफ्ट के साथ संलग्न कर कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में डाली जायेंगी। अन्तिम तिथि तक प्राप्त निविदायें उद्यान अनुभाग कार्यालय में दिनांक 10.03.2026 को अपराह्न 3:00 बजे निविदा/नीलामी समिति द्वारा खोली जायेंगी तथा निविदा केवल उन्हीं ठेकेदारों/फर्मों की स्वीकार की जायेंगी, जिनके द्वारा दिनांक 23.02.2026 से दिनांक 09.03.2026 के मध्य क्रय किये गये निविदा प्रपत्र, फीस रु. 2000.00 + जी0एस0टी0 18 प्रतिशत रु. 360.00 कुल रु. 2360.00 (रूपये दो हज़ार तीन सौ साठ मात्र) की रसीद एवं निविदा में भाग लेने **रु. 50,000.00, (रू. पचास हजार मात्र)** की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जो, **नियंत्रक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर/Comptroller, GBPUA&T, Pantnagar** के नाम ***भारतीय स्टेट बैंक/यूको बैंक/पी0एन0बी0 बैंक अथवा यूनियन बैंक, पन्तनगर*** शाखा में देय हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर कार्यालय में रखें निविदा बाक्स में डाला गया हो। निविदा/नीलामी की धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट एवं क्रय किये निविदा प्रपत्र (Tender Form) की रसीद की मूल प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न नहीं करने की दशा में निविदा बाक्स में डाले गये निविदा प्रपत्र को निरस्त समझा जायेगा एवं जमा धनराशि का ड्राफ्ट जब्त कर लिया जायेगा।

समस्त निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि निविदा/नीलामी में भाग लेने से पूर्व वृक्षों का भली–भॉति निरीक्षण कर ही निविदा डालें, बाद में किसी भी प्रकार की आपत्ति/शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

**वृक्षों का विवरणः–**

| क्र.सं. | वृक्ष प्रजाति | स्थान | वृक्षों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | यूकेलिप्टस | पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महा0 | 09 |
| 2. | | कृषि महाविद्यालय | 14 |
| | | कुल | 23 |

**अल्पकालिक निविदा की शर्तेः**

1. निविदादाता को निविदा/नीलामी प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर निविदा के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

2. बन्द निविदायें साधारण डाक, पंजीकृत डाक अथवा अनुभाग में पर रखी गयी निविदा पेटी मे भी व्यक्तिगत रूप से भी डाली जा सकती हैं। निविदा पेटी में निविदायें दिनांक 24.02.2026 से दिनांक 09.03.2026 अपराह्न 04.00 बजे तक डाली जा सकती हैं। प्राप्त निविदायें दिनांक 10.03.2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निविदा/नीलामी समिति के समक्ष उद्यान अनुभाग में खोली जायेगी। इच्छुक निविदादाता स्वयं अथवा उसका एक अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खुलने के समय उपस्थित हो सकते हैं।

3. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ रू0 50,000.00 (रू0 पचास हजार मात्र) धरोहर राशि **(वापसी योग्य)** का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो कि **नियंत्रक, गो0ब0पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर/ Comptroller, G.B.P.U.A.&T., Pantnagar** के पक्ष में जो **भारतीय स्टेट बैक/पंजाब नेशनल बैंक/यूको बैंक/यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया पर देय हो,** संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा प्रपत्र स्वीकार नही होगा। धरोहर राशि के रूप में वांछित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जायेगी एवं जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

4. उच्चतम निविदा दर की 70 प्रतिशत धनराशि निविदा खुलने के उपरांत 03 कार्य दिवसों के भीतर अग्रिम भुगतान के रूप में नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट के द्वारा अनुभाग कार्यालय में जमा करनी होगी। शेष धनराशि 30 प्रतिशत धनराशि माल निकासी करने से पूर्व जमा करनी होगी अन्यथा माल निकासी की अनुमति नही दी जायेगी।

5. सफल क्रेता को कार्यादेश पत्र प्राप्ति के 03 दिन के भीतर अपने खर्च पर रू0 100.00 के नोटराइज्ड नानजुडिशियल स्टॅाम्प पर विश्वविद्यालय के साथ लिखित अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा, तदोपरांत ही वृक्षों के पातन हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी। कार्यादेश जारी होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर सम्पूर्ण वृक्षों का कटान व भूमि को समतल करना अनिवार्य होगा।

6. उच्चतम निविदादाता एवं द्वितीय उच्चतम निविदादाता की धरोहर राशि को रोकते हुए शेष निविदादाताओं/ बोलीदाताओं की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट निविदा खोलने की प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात वापस कर दी जायेगी।

6. वृक्षों के विक्रय मूल्य पर निर्धारित जी0एस0टी0, आयकर, स्टाम्प शुल्क, मण्डी शुल्क इत्यादि क्रेता को स्वयं अलग से सम्बन्धित विभाग में पूर्ण दर पर जमा करना होगा, तथा उक्त जमा शुल्क के चालान/रसीद उद्यान अनुभाग में मूल रूप से जमा करनी होगी। यदि क्रेता के द्वारा उक्त शुल्कों को कम या अधिक जमा किया जाता है अथवा विलम्ब से जमा किया जाता है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रेता का होगा तथा सभी शुल्कों के जमा होने के पश्चात ही माल निकासी की अनुमति दी जायेगी।

7. **वृक्ष जैसा है जंहां** है, के आधार पर लेना होगा तथा वृक्षों की गुणवत्ता का कोई उत्तरदायित्व उद्यान अनुभाग का नहीं होगा। अतः निविदादाता निविदा देने से पूर्व मौके पर वृक्षों का भली–भंति निरीक्षण स्वयं कर लें। निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त वृक्षों में किसी भी प्रकार का दोष पाये जाने की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।

8. विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी/अधिकारी निविदा डालने के पात्र नही होगें।

9. वृक्षों की निकासी से पूर्व क्रेता को प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर से निकासी परमिट स्वयं लेना होगा तथा ट्रांजिट शुल्क या अन्य कोई शुल्क आदि की धनराशि क्रेता को स्वयं जमा करनी होगी।

10. क्रेता तथा उसके आदमियों द्वारा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से अन्तिम अवधि तक विश्वविद्यालय तथा केन्द्र की किसी सम्पत्ति को नुकसान पहॅुचाने/असामाजिक कार्य करने एवं अन्य किसी भी प्रकार की गतिविधि में संलिप्त पाये जाने की दशा में सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।

11. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निविदा/नीलामी समिति में निहित है।

12. क्रेता द्वारा उपरोक्त शर्तो में से किसी भी एक शर्त का पालन न करने की दशा में वृक्षों की बिक्री रद्द की जा सकती है, तथा धरोहर/Performance-Guarantee हेतु जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

13. **इस विक्रय के लिए अनुबन्ध के सम्बन्ध में किसी भी विवाद पर निर्णय के लिए कुलपति गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर सोल आर्बिट्रटेर (Sole arbitrator) होंगे और उनका या उनके द्वारा नामित अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनो पक्षों को मान्य होगा।**

14. कार्यादेश पत्र प्राप्ति की तिथि से 10 दिन के भीतर वृक्षों की ढुलाई आवश्यक होगी। 10 दिन पश्चात अगले 07 दिन तक रू0 100.00 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क क्रेता द्वारा देय होगा। तत्पश्चात् निविदा निरस्त कर धरोहर राशि जब्त किये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

15. वृक्षों का कटान क्रमवार करना होगा। विद्युत लाइनों, आवासों एवं भवनों के निकट स्थित बाधायुक्त वृक्षों के कटान में स्थिति के अनुसार विभागीय सहयोग प्राप्त किया जा सकता हैं।

16. प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष की जड़ के पास 15 X 15 सेमी0 का गढ्ढा धन छाप लगा दी जायेगी। उक्त धन की छाप वाले वृक्ष ही क्रेता द्वारा काटे जायेगें तथा वृक्ष की जड़ों का खुदान कर भूमि को समतल करना भी अनिवार्य होगा। वृक्षों के कटान के समय विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि होती है तो उसकी क्षति पूर्ति निविदादाता को करनी होगी।

17. निविदा की स्वीकृति के उपरान्त क्रेता को कटी हुई लकड़ी को देखभाल की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।

18. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय प्रभाग, रूद्रपुर के आदेशानुसार क्रेता से एक वृक्ष के स्थान पर दो वृक्षों के वृक्षारोपण (छूट प्रजाति को छोड़कर) रू0 100.00 प्रति वृक्ष के आधार पर प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रूद्रपुर के नाम पर निरूपित (राष्ट्रीय बचत–पत्र) उक्त कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना लिखित रूप से साक्ष्य के साथ अनुभाग को देनी होगी।

19. क्रेता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अपना तथा अपने कर्मचारियों का परिचय–पत्र सुरक्षा अधिकारी कार्यालय से बनवाना होगा। ठेकेदार के किसी भी कर्मचारी को परिसर/फार्म में अवांछित गतिविधि में संलग्न होने के संशय पर परिसर में प्रवेश निषिद्ध कर दिया जायेगा।

20. क्रेता को निविदा में भाग लेने से पूर्व पैन कार्ड/आधार कार्ड की छायाप्रति जमा करनी आवश्यक है।

**प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 20 तक) मेरे द्वारा पढ़ ली गई हैं तथा मुझे सभी शर्तें मान्य हैं।**

हस्ताक्षर निविदादाता.......................................................................

पूरा नाम.......................................................................................

पिता का नाम.................................................................................

ग्राम एवं पो0...................................................................................

तहसील ......................................................................................... जनपद.......................................................

पिन ............................................................................................. मोबाइल सं0 ..........................................

**निविदा जारी करने वाले**
**अधिकारी के हस्ताक्षर**
Officer Incharge
Garden Section